

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा (म0प्र0)

!! ज्ञा प न !!

क्रमांक 1422 दो-11-1- / 2007

हरदा दिनांक 3 / 08 / 2025
9

प्रति,

समस्त अधिकारीगण / प्रभारी अधिकारीगण,
हरदा, खिरकिया, टिमरनी,
जिला हरदा म0प्र0,

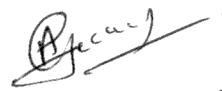
विषय :- कर्मचारीगण के अवकाश आवेदनों पर अनुशंसा होने अथवा न होने की टीप के बिना मात्र अग्रेषित कर कार्यालय में प्रेषित करने के संबंध में।

—00—

परिपत्र क्रमांक 33 / दो-11-2 / 2005 (भाग-2) हरदा, दिनांक 24.04.2025 के माध्यम से कर्मचारीगण के अवकाश आवेदनों पर अनुशंसा होने अथवा न होने की स्पष्ट टीप अंकित कर कार्यालय को अग्रेषित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था, परंतु प्रायः यह देखने में आया है कि आपके द्वारा उक्त परिपत्र में दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि कर्मचारीगण के अवकाश आवेदनों को अपनी अनुशंसा होने अथवा न होने की स्पष्ट टीप के साथ प्रेषित करें।

वर्तमान में जिला एवं तहसील स्थापना में कर्मचारीगण की अत्यधिक कमी को देखते हुए किसी कर्मचारी के अवकाश पर होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था आवश्यक रूप से सुनिश्चित कराया जाना संभव नहीं होता है। अतः यदि अवकाश आवेदनों पर वैकल्पिक व्यवस्था की शर्त की टीप अंकित की जाती है तो ऐसे आवेदनों पर "पीठासीन / प्रभारी अधिकारी की अनुशंसा नहीं होना माना जाएगा।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा (म0प्र0)